प्रस्तावना

पीएसी बल की कार्यविधि तथा उसके सही उपयोग व पुलिस अधीक्षको तथा सेनानायकों के मार्गदर्शन हेतु पैम्फ्लेट नं- 10 अब तक सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध है, जिससे पीएसी के कनिष्ठ कर्मचारियों को भाषा की सही जानकारी न होने के कारण कर्तव्य पालन के दौरान विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पडता है।

अत: पैम्फ्लेट नं0-10 में निर्धारित नियम व अन्य निर्देशों को सर्व सुलभ हिन्दी में अनुवादित किया गया है जो पीएसी के अधिकारियो व कर्मचारियों का ज्ञानवर्धन करने और उन्हें अपने समस्त कार्यकलापों का और अधिक दक्षता से निर्वहन करने में सहायक होगी तथा पीएसी बल को और गौरवान्वित करेगी।

अनुक्रमणिका

	विषय	पैरा	पृष्ट सं0
	अध्याय–1		
1.	गठन	1	1–2
	अध्याय–2		
2.	परिचय	2–3	3
3.	ड्यूटियों के प्रकार	4–5	3–4
4.	आधारभूत सिद्धान्त	6	5
5.	ड्यूटी की अवधि व प्रकार का स्पष्ट उल्लेख तथा बल की वापसी	7–9	5–6
6.	डिटैचमेन्ट कमाण्डर द्वारा पुलिस अधिक्षकों से संपर्क	10	6
7.	डिटैचमेन्ट की बदली	11	6–7
8.	सेनानायक तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक से संपर्क	12	7
9.	पीएसी के व्यवस्थापन के सामान्य सिद्धान्त	13	7–8
10.	नगर क्षेत्रों में पीएसी का व्यवस्थापन	14	8
11.	ग्रामीण क्षेत्रों में पीएसी का गस्त के लिए व्यवस्थापन	15	9
12.	ग्रामीण क्षेत्रों में पीएसी का फिक्स्ड पिकेट्स की तरह प्रयोग	16	10
13.	एण्टी डकैती ड्यूटियों के लिए पीएसी का प्रयोग	17	10–11
14.	फोर्स के अनुचित प्रयोग के मामलों में कार्यवाही	18	11

15.	महत्वपूर्ण घटनाओं, जिनमें पीएसी सम्बन्धी हो, कि तुरन्त सूचना देना	19	11

अध्याय-3

16.	चैनल ऑफ कमाण्ड(चरणबद्ध नेतृत्व)	20	12
17.	डिसिप्लिनरी कन्ट्रोल	21-22	12
18.	ऑपरेशनल कन्ट्रोल	23	13-16
19.	स्थानीय राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण	24	16
20.	डिटैचमेन्ट निरीक्षण के दौरान स्थानीय पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य	25	16
21.	पारस्परिक अभिवादन	26	16

अध्याय-4

22.	आवास व्यवस्था	27-29	17
23.	ऑपरेशनल स्ट्रैन्थ	30-31	18
24.	मोटर ट्रॉसपोर्ट	32-37	18-19
25.	चिकित्सा व्यवस्था	38	19
26.	व्यवस्थापन के दौरान प्रशिक्षण	39-41	19-20
27.	ऑपरेशनल एरिया में पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था	42-52	20-22
28.	सीमा क्षेत्रों और राज्य से बाहर प्रतिनियुक्त पीएसी के अधि0 एवं कर्म0	53-56	22-23

****

अनुक्रमणिका

	विषय	पैरा	पृष्ट सं0
	अध्याय–1		
1.	गठन	1	1–2
	अध्याय–2		
2.	परिचय	2–3	3
3.	ड्यूटियों के प्रकार	4–5	3–4
4.	आधारभूत सिद्धान्त	6	5
5.	ड्यूटी की अवधि व प्रकार का स्पष्ट उल्लेख तथा बल की वापसी	7–9	5–6
6.	डिटैचमेन्ट कमाण्डर द्वारा पुलिस अधिक्षकों से संपर्क	10	6
7.	डिटैचमेन्ट की बदली	11	6–7
8.	सेनानायक तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक से संपर्क	12	7
9.	पीएसी के व्यवस्थापन के सामान्य सिद्धान्त	13	7–8
10.	नगर क्षेत्रों में पीएसी का व्यवस्थापन	14	8
11.	ग्रामीण क्षेत्रों में पीएसी का गस्त के लिए व्यवस्थापन	15	9
12.	ग्रामीण क्षेत्रों में पीएसी का फिक्स्ड पिकेट्स की तरह प्रयोग	16	10
13.	एण्टी डकैती ड्यूटियों के लिए पीएसी का प्रयोग	17	10–11
14.	फोर्स के अनुचित प्रयोग के मामलों में कार्यवाही	18	11

अध्याय-1

गठन

उ0प्र0 पीएसी में कुल 31 वाहिनियाँ हैं। इस बल के प्रमुख अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी उ0प्र0 हैं। पीएसी का मुख्यालय अपर पुलिस महानिदेशक-1, पुलिस महानिरीक्षक-2 एवं सहायक पुलिस महानिरीक्षक-1 के नियन्त्रण में लखनऊ में व्यवस्थापित हैं। उ0प्र0 की नवीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद को छोड़कर शेष सभी वाहिनियों में 8-8 कम्पनियाँ हैं। नवीं वाहिनी में 9 कम्पनियाँ हैं। प्रशासनिक उद्देश्य से पीएसी को 3 जोन एवं 7 अनुभागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ज़ोन में एक पुलिस महानिरीक्षक एवं प्रत्येक अनुभाग में एक पुलिस उप महानिरीक्षक नियुक्त है। उ0प्र0 जोन/अनुभाग में नियमानुसार निम्नवत् विभाजित किया गया है:-

(1)	पूर्वी ज़ोन	(1)	कानपुर अनुभाग
		(2)	वाराणसी अनुभाग
(2)	मध्य ज़ोन	(1)	बरेली अनुभाग
		(2)	लखनऊ अनुभाग
(3)	पश्चिमी ज़ोन	(1)	मुरादाबाद अनुभाग
		(2)	मेरठ अनुभाग
		(3)	आगरा अनुभाग

पीएसी अनुभागों के अन्तर्गत वाहिनियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पूर्वी जोन

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, कानपुर अनुभाग

* 04 वाहिनी पीएसी, इलाहाबाद।
* 12 वाहिनी पीएसी, फतेहपुर।
* 33 वाहिनी पीएसी, झाँसी।
* 37 वाहिनी पीएसी, कानपुर।
* 42 वाहिनी पीएसी, नैनी, इलाहाबाद।

(2) पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, वाराणसी अनुभाग

* 20 वाहिनी पीएसी, आज़मगढ़।
* 26 वाहिनी पीएसी, गोरखपुर।
* 34 वाहिनी पीएसी, भुल्लनपुर, वाराणसी।
* 36 वाहिनी पीएसी, रामनगर, वाराणसी।
* 39 वाहिनी पीएसी, मीरजापुर।

(2) मध्य जोन

(1) पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, बरेली अनुभाग

* 02 वाहिनी पीएसी, सीतापुर।
* 08 वाहिनी पीएसी, बरेली।
* 11 वाहिनी पीएसी, सीतापुर।
* 27 वाहिनी पीएसी, सीतापुर।

(2) पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, लखनऊ अनुभाग

* 10 वाहिनी पीएसी, बाराबंकी (जहागीराबाद)।
* 25 वाहिनी पीएसी, रायबरेली।
* 30 वाहिनी पीएसी, गोण्डा।
* 32 वाहिनी पीएसी, लखनऊ।
* 35 वाहिनी पीएसी, लखनऊ।

(3) पश्चिमी जोन

[illegible] उप महानिरीक्षक, पीएसी, मुरादाबाद अनुभाग

* 09 वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद।
* 23 वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद।
* 24 वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद।

[illegible] महानिरीक्षक, पीएसी, मेरठ अनुभाग

* [illegible] वाहिनी पीएसी, मेरठ।
* [illegible] वाहिनी पीएसी, मेरठ।
* [illegible] वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद।
* [illegible] वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद।

[illegible], पीएसी, आगरा अनुभाग

* [illegible] पीएसी, आगरा।
* [illegible] इटावा।
* [illegible] अलीगढ़।
* [illegible] एटा।
* [illegible] अलीगढ़।

अध्याय-2

परिचय

1. प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी की प्राथमिक भूमिका है संकट के समय प्रयोग हेतु एक विशेष रूप से प्रशिक्षित फोर्स की तरह तथा विशेष प्रकार के कर्तव्यों के लिए कार्य करना। यह दैनिक शान्ति व्यवस्था ड्यूटियों के लिए नहीं है, जो अनिवार्यतः जिला पुलिस द्वारा सम्पादित की जानी चाहिए।

2. इस पुस्तिका का उद्देश्य है पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी तथा पीएसी मुख्यालय द्वारा पीएसी बल की कार्य विधि तथा उसके सही उपयोग के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों के प्रासंगिक अंशों को संक्षेप में संकलित करना और जहाँ जरूरी हो जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षकों तथा सेनानायकों के मार्ग दर्शन हेतु दिशा निर्देश निर्धारित करना।

(3) ड्यूटियों का प्रकार

(4) पीएसी बल को आमतौर पर निम्नलिखित ड्यूटियों के लिए जिलों में बुलाया जाता है:-

1. वी.वी.आई.पी. ड्यूटी।
2. एन्टी डकैती ड्यूटियों तथा गिरोहबन्द अपराधों में अकस्मात बढ़ोत्तरी होने पर या ऐसे अपराधों के संदर्भ में जिनसे दूर-दूर तक जनता में आतंक फैला रहा हो।
3. महत्वपूर्ण मेलों और त्यौहार से सम्बन्धित।
4. साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित।
5. छात्र आन्दोलन।
6. राजनीतिक किसान और श्रमिक आन्दोलन दंगों से सम्बन्धित।
7. सार्वजनिक मनोरंजन या खेलों से सम्बन्धित।
8. चुनाव।
9. अन्य गुरूतर तथा गम्भीर शान्ति व्यवस्था परिस्थितियों से सम्बन्धित ड्यूटियाँ।
10. गम्भीर प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं से सम्बन्धित।
11. संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा।
12. एण्टी-नक्सलाईट ड्यूटी।

(5) रोजमर्रा की ड्यूटियों में सिद्धान्ततः पीएसी को नियुक्त नहीं करना चाहिए जब तक की किसी वास्तविक संकट की स्थिति में अनुभाग के पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी, पुलिस महानिरीक्षक पीएसी, तथा अपर पुलिस महानिदेशक, द्वारा ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत न किया गया हो। पुलिस अधीक्षकों को छोटे मेलों में अथवा रोजमर्रा के धार्मिक त्यौहारों के दौरान सामान्य पुलिस ड्यूटियों के लिए पीएसी के कर्मचारी को प्रयुक्त करने की अनुमति नहीं है।

पीएसी को अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के दौरान भी भीड़ के नियन्त्रण हेतु केवल लाठी, बेंत अथवा आंशिक रूप से सशस्त्र और आंशिक रूप से लाठी बेंत के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। ऐसे अवसरों पर पीएसी कर्मचारियों को सादे वस्त्र की ड्यूटियों में नहीं लगाना चाहिए। जब भी अतिविशिष्ट व्यक्तियों को गार्ड आफ ऑनर प्रस्तुत करने के लिए पीएसी को नियुक्त करने का इरादा हो तो अनुभाग के पुलिस उप महानिरीक्षक या पीएसी मुख्यालय की पूर्व अनुमति अवश्य ले ली जाय। पीएसी का प्रयोग रोजमर्रा के नाटक, सिनेमा या सर्कस या गायन व नाट्य मण्डलियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मनोरंजन कार्यक्रमों की व्यवस्था हेतु नागरिक पुलिस स्वतः सक्षम होनी चाहिए।

उदाहरण स्वरूप जनपद की नागरिक पुलिस की कुछ रोजमर्रा की ड्यूटियों का विवरण निम्नलिखित है जिनके लिए पीएसी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए:-

1. रोजमर्रा की गश्त।
2. यातायात नियन्त्रण।
3. मनोरंजन के स्थानों पर टिकट विक्री हेतु लाईन लगवाना।
4. समारोह या मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश नियन्त्रित करने हेतु प्रवेश पत्रों की चेकिंग कराना।
5. कैदियों को एस्कोर्ट करना।
6. कॉनवाय प्रणाली को लागू करना।
7. सम्पत्ति और खजाने को एस्कोर्ट करना।
8. साम्प्रदायिक दंगों, चुनाव ड्यूटी और शान्ति व्यवस्था की गम्भीर स्थितियों को छोड़कर अधिकारियों को एस्कोर्ट करना।
9. रेल गाड़ियों को एस्कोर्ट करना और बिना टिकट यात्रा की चेकिंग करना।
10. फिक्स्ड गार्दे और आवासीय गार्दे।

4. आधारभूत सिद्धान्त

6. पी0ए0सी0 की माँग कैसे करें:-

यदि किसी जिले में पीएसी की मद्द की जरूरत हो तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक को सभी कारण देते हुए कि माँगी गयी फोर्स की पूर्ति सशस्त्र पुलिस के उनके अपने नियतन से क्यों नहीं हो सकती, संबोधित किया जाना चाहिए। यदि परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक माँग को सही समझते हैं तो वे अपने रेंज रिजर्व से पीएसी बल उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित करेंगे। यह आशा की जाती है कि परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अपने नियन्त्रण में उपलब्ध रेंज रिजर्व की सभी कम्पनियों का प्रयोग सामान्यतः नहीं करेंगे। उनके पास अधिकतम उपलब्ध फोर्स यही हैं। अतः प्रतिनियुक्ति आदेश अपने अधिकार क्षेत्र के जिलों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही जारी किया जाये। जो असंगत रूप से अधिक हों या जिनमें पर्याप्त कारण न दिये हों।

यदि किसी परिक्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक को अपने लिए आवंटित कम्पनियों से भी अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें समय से महानिरीक्षक, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, को संदर्भित करना चाहिए, तब आई0जी0 रिजर्व से, अपर पुलिस महानिदेशक रिजर्व से अस्थाई तौर पर फोर्स प्रतिनियुक्ति करने की सम्भावना का परीक्षण किया जाएगा। आई0जी0 रिजर्व, अपर पुलिस महानिदेशक, आई0जी0 पीएसी के पूर्व अनुमोदन पर ही किया जाएगा। अचानक उत्पन्न अति गम्भीर संकट की स्थिति में, जबकि टेलीफोन और वायरलेस से भी पूर्व अनुमति प्राप्त करना सम्भव न हो तो, परिक्षेत्र के उप महानिरीक्षक को यह अधिकार होगा कि वे आई0जी0 रिजर्व, डी0आई0जी0 रिजर्व की कम्पनियों को (ट्रेनिंग कम्पनी को छोड़कर) स्थानीय ड्यूटियों हेतु अधिकतम तीन दिनों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त कर दें, परन्तु जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें तत्काल विस्तार में कारण उल्लिखित करते हुए, औपचारिक अनुमति के अनुरोध के साथ एक संदेश भेजना चाहिए और उसमें वह अवधि भी इंगित करनी चाहिए जिसके दौरान आई0जी0 रिजर्व, अपर पुलिस महानिदेशक रिजर्व की कम्पनियों की आवश्यकता रहेगी, परन्तु यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि ऐसा केवल अपवाद स्वरूप ही किया जाये। नियम के तौर पर नहीं।

5. ड्यूटी की अवधि व प्रकार का स्पष्ट उल्लेख तथा फोर्स की वापसी:

7. अपने परिक्षेत्र के विभिन्न जिलों में पीएसी की नियुक्ति के आदेश जारी करते समय परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक को नियमित रूप से ड्यूटी की अनुमानित अवधि, उसका प्रकार तथा पीएसी द्वारा ले जाये जाने वाले यूनीफॉर्म और शस्त्रों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।

8. जैसे ही परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के आदेश में अंकित ड्यूटी की अवधि समाप्त होती है, पीएसी को वाहिनी मुख्यायलपर वापस भेज देना चाहिए। डिटैचमेण्ट के प्रभारी अधिकारी पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट करेंगे और उनसे आदेश माँगेंगे।

पुलिस अधीक्षक को सामान्य तौर पर व्यवस्थापन की अधिकृत अवधि की समाप्ति के बाद पीएसी को, पुलिस उप महानिरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं रोकना चाहिए, जिन्हें स्वयं भी आई0जी0 रिजर्व अपर पुलिस महानिदेशक के मामलों में आई0जी0, अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक पीएसी की एसी ही अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि अपवाद स्वरूप शान्ति व्यवस्था की गुरूतर परिस्थितियों में ऐसी पूर्व अनुमति प्राप्त करना संभव न हो, तो पुलिस अधीक्षक पीएसी को अधिक से अधिक तीन दिनों तक रोक सकते हैं, परन्तु उन्हें पीएसी/डिटैचमेन्ट के प्रभारी अधिकारी को लिखित ओदश देना चाहिए तथा परिक्षेत्र के उप महानिरीक्षक, अनुभागीय उपमहानिरीक्षक, पीएसी तथा सम्बन्धित सेनानायकों को टेलीफोन या रेडियों ग्राम द्वारा सूचित कराना चाहिए। पुलिस महानिरीक्षक रिजर्व, अपर पुलिस महानिदेशक तथा आई0जी0 पीएसी को भी इसकी सूचना देनी चाहिए।

यदि सक्षम अधिकारी द्वारा व्यवस्थापन की अवधि में वृद्धि नहीं की जाती, तो तीन दिनों की इस अवधि की समाप्ति के बाद फोर्स पुलिस अधीक्षक को सूचित करके वाहिनी मुख्यालय वापस आ जायेगी।

9. जहाँ कहीं भी यह व्यवहारिक और सुविधाजनक हो तो उन नगर मुख्यालयों में, जहाँ ये वाहिनियाँ स्थित है, ड्यूटी देते समय, पीएसी डिटैचमेन्ट को वाहिनी परिसर में ही रखा जाये।

6. डिटैचमेण्ट-कमाण्डर द्वारा पुलिस अधीक्षकों से सम्पर्क रखना

10. वाहिनी मुख्यायल से बाहर प्रतिनियुक्त किये जाने की दशा में पीएसी के डिटैचमेन्ट कमाण्डरों को अपनी नियुक्ति के स्थान पर आगमन के बाद स्थानीय पुलिस अधीक्षक से नियमतः तुरन्त सम्पर्क करना चाहिए। डिटैचमेण्ट कमाण्डर को अपने जिले में अपने प्रवास की सम्पूर्ण अवधि में पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क रखना चाहिए।

7. डिटैचमेण्ट की बदली

11. यदि ड्यूटी पहले ही समाप्त न हो जाये तो ऑपरेशनल ड्यूटी में नियुक्त डिटैचमेन्ट को वाहिनी मुख्यालय से आम तौर पर दो माह के अन्तराल के बाद नये डिटैचमेन्ट से बदल देना चाहिए। इन तब्दीलियों को स्वचालित ढंग से क्रियान्वित करने के बजाय, यह बेहतर होगा कि सेनानायक

सम्बन्धित परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक से सम्पर्क करके अग्रिम तौर पर यह बात ज्ञात कर लें कि क्या इन डिटैचमेण्ट की लगातार मौजूदगी आवश्यक है। हो सकता है कि, परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा फोर्स की वापसी या उसकी जनशक्ति में कमी करने की निर्णय लिया जाये, तो ऐसी दशा में तद्नुसार फोर्स की बदली की योजना बनानी चाहिए।

8. सेनानायकों तथा पुलिस अधीक्षकों द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक से सम्पर्क रखना

12. इस बात पर बल दिया जाता है कि सेनानायक अपने परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक से लगातार व्यक्तिगत सम्पर्क रखेंगे और उनके परिक्षेत्रों में ऑपरेशनल ड्यूटी में पीएसी डिटैचमेन्ट से सम्बन्धित सभी समस्याओं के बारे में उनसे प्रायः विचार-विमर्श करते रहेंगे। पुलिस अधीक्षकों को भी पीएसी की समस्याओं और कार्यविधि के सम्बन्ध में सम्बन्धित अनुभाग के पुलिस उप महानिरीक्षकों से लगातार सम्पर्क बनायें रखना चाहिए।

9. पीएसी के व्यवस्थापन के सामान्य सिद्धान्त

13. पीएसी के व्यवस्थापन के आदेश जारी करते समय पुलिस अधीक्षकों को निम्नलिखित दिशा- निर्देश और सामान्य सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए:-

(अ) अपने प्लाटून के कर्मचारियों के पर्यवेक्षण हेतु प्लाटून कमाण्डर उपलब्ध रहना चाहिए। उसे संभव बनाने के लिए प्लाटून के विभिन्न सेक्शनों को एक दूसरे से उचित दूरी पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

(ब) एक प्लाटून को इस प्रकार व्यवस्थापित करना चाहिए कि भोजनालय की व्यवस्था दो से अधिक स्थानों पर न करनी पड़े।

(स) ईकाइयों की समग्र एक रूपता कायम रखी जानी चाहिए।

(द) पीएसी के पर्यवेक्षक अधिकारियों, जिनमें डिटैचमेन्ट के साथ नियुक्त राजपत्रित अधिकारी भी शामिल है, अथवा जवानों की सुख-सुविधा की देख-रेख हेतु नियुक्त अधिकारियों को अपने डिटैचमेन्ट से दूर नियुक्त नहीं किया जाना चहिए। किसी भी दशा में उन अधिकारियों को जिले में पुलिस की सामान्य ड्यूटियों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

(य) जब भी पीएसी नियुक्त की जाती है तो ड्यूटी के लिए बाहर भेजी जाने वाली उसकी प्रत्येक पृथक इकाई के साथ नागरिक पुलिस के किसी अधिकारी, हे0कां0 या कां0 को उनके साथ जाना चाहिए। अधिकारी का रैंक फोर्स की जनशक्ति, ड्यूटी के महत्व तथा स्थिति के अनुसार तय किया जाना

चाहिएं।, जबं कभी एक प्लाटून या उससे अधिक की ऑपरेशनल पार्टी ड्यूटी हेतु गठित हो तो सब इन्सपेक्टर के पद से निचे के अधिकारी उसके साथ न जायें।

(र) सामान्यतः, पीएसी कर्मचारियों को प्रतिदिन आठ घण्टों से अधिक ड्यूटी नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि अचानक उत्पन्न अति गम्भीर संकट की स्थिति न हो। परन्तु यदि उन्हें इससे अधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाना चहिए कि उनमें से प्रत्येक को तीन दिनों की लगातार ड्यूटी के बाद 24 घण्टों का पूर्ण विश्राम मिले।

(ल) यदि फोर्स को रिजर्व के रूप में रखा जा रहा हो तो 50 प्रतिशत 'स्टैण्ड डाउन'' में रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर कमरबन्दी के फोर्स को तुरन्त रवाना होने के लिए तैयार रहना चाहिए, जबकि शेष फोर्स को 30 मिनट के अन्दर रवाना होने की स्थिति में रहना चाहिए।

(व) अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी के आदेश से पीएसी के राजपत्रित अधिकरियों/कम्पनी कमाण्डरों को जिले में शान्ति व्यवस्था की संकट कालीन स्थितियों में पुलिस ड्यूटियों हेतु नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी नियुक्तियों के लिए पुलिस अधीक्षकों को अपनी माँग समय से परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकों के माध्यम से सक्षम अधिकारी को प्रेषित करना चाहिए। अनुभागीय पुलिस उप महानिरीक्षक भी इन अधिकारियों को विशिष्ट ड्यूटियों हेतु अल्प अवधि के लिए नियुक्त कर सकते है।

10. <u>नगर क्षेत्रों में पीएसी का व्यवस्थापन</u>

14. सामान्यतः नगर क्षेत्रों में गश्त या फिक्स्ड पिकेट के लिए पूरा सेक्शन नियुक्त किया जाना चाहिए और प्लाटून के तीनों सेक्शन एक दूसरे से समुचित दूरी पर इस प्रकार व्यवस्थापित किये जाने चाहिए कि प्लाटून कमाण्डर उनका प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण कर सके। फिर भी, शान्ति व्यवस्था की स्थितियों में पीएसी को नगर क्षेत्रों में आधे-सेक्शन की जनशक्ति में लगाया जा सकता है बशर्ते कि उनका व्यवस्थापन इस प्रकार किया जाय कि प्लाटून कमांण्डर अपने सभी जवानों पर प्रभावी नियन्त्रण कर सके।

11. ग्रामीण क्षेत्रों में पीएसी का गश्त के लिए व्यवस्थापन

15(क) पूरे प्लाटून को गश्त ड्यूटी में नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मय साजों सामानों व अपने भोजनालय के साथ एक गाँव से दूसरे गाँव तक मूवमेण्ट करना पड़ेगा।

(ख) पीएसी बल को गश्त के लिए एक सेक्शन से कम की जनशक्ति में कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेक्शनों को उनकी बारी आने पर इस प्रकार नियुक्त करना चाहिए कि वे मध्य में स्थित किसी ग्राम से 'आपरेट' करें, जो प्लाटून का मुख्यालय होना चाहिए।

(ग) इस प्लाटून को उस क्षेत्र के किसी मध्यवर्ती ग्राम में नियुक्त कराना चाहिए, जहाँ डकैती सहित अपराधिक घटनाएं सबसे अधिक हो रही हों। प्लाटून के दो सेक्शनों को एक साथ भेजा जा सकता है। ये सेक्शन शाम को खाना खाने के बाद गश्त प्रारम्भ करके प्रातः काल तक प्लाटून मुख्यालय पर वापस लौट सकते हैं। इस प्रकार एक प्लाटून द्वारा लगभग 10 कि0मी0 के अर्ध व्यास के क्षेत्र में बहुत प्रभावी ढंग से गश्तकी जा सकती है। कुछ दिनों के बाद प्लाटून को आवश्यकतानुसार जिले के किसी दूसरे क्षेत्र में भेजा जा सकता है। जो भी हो, 'सरप्राइज' के तत्व को उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसमें गश्त के क्षेत्र और गश्त की अवधि में परिवर्तन प्रासंगिक होंगे। यदि इस कार्य के लिए जिले में एक पूरी कम्पनी उपलब्ध हो तो इसी ढंग से तीन प्लाटूनों को एक साथ तीन भिन्न-भिन्न दशाओं में प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

(घ) जहाँ एक पूरे प्लाटून को किसी मध्यवर्ती स्थान पर नियुक्त करना संभव न हो तो वहाँ इसे डेढ़ सेक्शन के दो भागों में विभक्त कर देना चाहिए। इन दोनों भागों के एक-एक सेक्शन गश्त में प्रयुक्त किये जा सकते हैं, जबकि इनके आधे-आधे सेक्शन अपने कार्यभार के शस्त्र, एम्युनेशन व अन्य सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु गार्द ड्यूटी सम्पन्न करेंगे और बारी आने पर गश्त में नियुक्त कर्मचारी की बदली करने वाले फोर्स की तरह भी कार्य करेंगे। प्लाटून कमाण्डर को अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र को 'कवर' करने वाले भाग के साथ सम्बन्ध करना चाहिए। जहाँ संभव हो इसे दोनों ही भागों से बारी-बारी सम्बद्ध किया जाना चाहिए। किसी भी दशा में इसके दूसरे भाग की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उसे यथा सम्भव बार-बार चैक करना चाहिए।

12. ग्रामीण क्षेत्रों में पीएसी का फिक्स्ड पिकेट्स की तरह प्रयोग

16. 'फिक्स्ड' पिकेट्स के लिए या 'स्ट्राइकिंग फोर्स' की तरह प्रयोग के लिए पीएसी का सेक्शनों में प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु ऐसे फिक्स्ड पिकेट्स एक दूसरे से उचित दूरी के अन्दर ही होने चाहिए, ताकि प्लाटून कमाण्डर उनका प्रतिदिन पर्यवेक्षण कर सकें। पीएसी का एक प्लाटून केवल दो स्थानों पर भोजनालय की व्यवस्था करने की स्थिति में होता है अतः तीन स्थानों में से किसी एक स्थान पर भोजनालय की व्यवस्था जिला पुलिस को भी करनी चाहिए। सेक्शनों में से किसी एक को किसी थाने या चौकी से सम्बद्ध करके ऐसा आसानी से किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पीएसी की एक सेक्शन से कम की पार्टियों को प्रयोग करना प्रतिबन्धित हैं। फिर भी, अति गम्भीर संकट की स्थिति में और चुनाव के दौरान, अनुभागीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/पीएसी मुख्यालय/अपर पुलिस महानिदेशक की अनुमति से पीएसी को आधे सेक्शनों में प्रयुक्त किया जा सकता है ऐसे आधे सेक्शनों के लिए समुचित भोजन व्यवस्था, दलनायक के रिजर्व में से एक अतिरिक्त कां0 नियुक्त करके, करनी पड़ेगी। ऐसा व्यवस्थापन कम से कम अवधि के लिए किया जाना चाहिए।

13. एण्टी डकैती ड्यूटियों के लिए पीएसी का प्रयोगः-

17. (ए) एण्टी डकैती ड्यूटी से संबंधित गश्त के बारे में निर्देश प्रस्तर 15(स) में अंकित है।

(बी) पुलिस दलों के बीच आपस में ही 'क्रास फायर' की किसी संभावना को टालने की दृष्टि से पीएसी के विभिन्न डिटैचमेन्ट के क्षेत्रों का पूरी तरह सीमा निर्धारित कर देना चाहिए और जिला पुलिस तथा पीएसी के अधिकारियों को उससे अवगत करा देना चाहिए। पीएसी की पिकेट्स, नागरिक पुलिस की गार्दों तथा अन्य डिटैचमेण्ट के स्थानों की जानकारी पीएसी के प्लाटून कमाण्डर व उसके ऊपर के पद के सभी अधिकारियों को उपलब्ध करा देनी चाहिए। इन अधिकारियों को विभिन्न गश्ती दलों के प्रभारी ओहदेदारों को भी इस संबंध में ''ब्रीफ'' कर देना चाहिए।

पड़ोसी जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियुक्त की गयी गार्दों और पिकेट्स के बारे में ऐसी ही जानकारी एकत्र करके जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑपरेशन एरिया में ही प्लाटून कमाण्डरों और उससे ऊपर के अधिकारियों को उपलब्ध करा देनी चाहिए। इस प्रकार की सूचनाओं के आदान-प्रदान का तालमेल परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के मामलों में पुलिस महानिरीक्षक आपरेशन्स द्वारा किया जाना चाहिए।

(सी) डकैत गिरोह के गठन और गतिविधियों के सम्बन्ध में गुप्त सूचनाएं एकत्रित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जिला पुलिस की है। तद्नुसार पता चलने पर पीएसी का प्रयोग गिरोह को बर्बाद करने के लिए 'स्ट्राइकिंग फोर्स' की तरह किया जाना चाहिए। जो भी हो, पीएसी द्वारा गुप्त सूचनाएं एकत्र करने में तब कोई मनाही नहीं है, जबकि वह तत्काल प्रतिफलित होने वाली हो।

14. फोर्स के अनुचित प्रयोग के मामलों में कार्यवाही:-

18. पुलिस अधीक्षकों को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएसी का प्रयोग इसमें सन्निहित निर्देशों के अनुसार ही हो। डिटैचमेण्ट कमांडरों को पुलिस के कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा पीएसी के दुरूपयोग के मामले की सूचना जिला पुलिस अधीक्षक और सेनानायक को शीघ्र दे देनी चाहिए। यदि किसी सेनानायक द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि जिले के अधिकारियों द्वारा उनके कर्मचारियों का उचित ढंग से प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को तत्काल इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहिए, जिन्हें पीएसी के दुरूपयोग पर रोक लगाने हेतु तुरन्त आदेश पारित करना चाहिए तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। पीएसी के गम्भीर और लगातार दुरूपयोग के मामलों को परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक, अनुभाग के पुलिस उप महानिरीक्षक तथा पीएसी मुख्यालय की जानकारी में लाया जाना चाहिए।

15. महत्वपूर्ण घटनाओं, जिनमें पीएसी सम्बद्ध हो, की तुरन्त सूचना देना:-

19. पुलिस अधीक्षक को सभी मुठभेड़ों और अन्य घटनाओं, जिनमें पीएसी को बल प्रयोग करना पड़ा हो, के सम्बन्ध में तत्काल सम्बन्धित सेनानायक को सूचित करना चाहिए। डिटैचमेण्ट कमाण्डर को भी सेनानायक को ऐसी समस्त घटनाओं से अवगत रखना चाहिए। सेनानायक को बिना समय नष्ट किये, इस सम्बन्ध में अनुभाग के पुलिस उप महानिरीक्षक तथा पीएसी मुख्यालय को अपनी आख्या प्रेषित करनी चाहिए।

++++++++++++

अध्याय-3

कमाण्ड और कन्ट्रोल

16. चेन ऑफ कमाण्ड:-

20. चूँकि पीएसी अपने ही अधिकारियों, जो उनकी क्षमताओं को जानते हैं के अधीन कार्य करने में प्रशिक्षित है, अत: पीएसी के वरिष्ठतम उपस्थित अधिकारियों के माध्यम से आदेश देने के बजाय पीएसी कर्मचारियों को सीधे कोई भी आदेश न दिये जायें।

17. डिसिप्लिनरी कण्ट्रोल:-

21. किसी भी पीएसी डिटैचमेन्ट का अनुशासनात्मक नियन्त्रण उस पीएसी इकाई के सेनानायक और अन्य अधिकारियों में निहित होता है, जिनसे कि वे सम्बन्धित होते है। परन्तु, अपवाद स्परूप, आगरा के आपरेशनल क्षेत्रों में ड्यूटी में तैनात पीएसी के समस्त हे0का0 व कां0 को सेनानायक 15वीं वाहिनी पीएसी के अनुशासनात्मक नियन्त्रण में इस सीमा तक रखा है कि वे उनके द्वारा अर्दली रूम में दण्डित किये जा सकते है। सेनानायक 15वीं वाहिनी पीएसी द्वारा इस प्रकार दण्ड दिये जाने की दशा में इसकी सूचना तत्काल उन ईकाईयों के सेनानायक को भी दी जायेगी जिनसे कि वे कर्मचारी सम्बन्धित है। दण्डो का क्रियान्वयन 15वीं वाहिनी पीएसी, आगरा के परिसर में होगा।

कुछ मामलें में पीएसी की विभिन्न वाहिनियों से फोर्स को किसी एक जिले में लम्बे समय के लिए भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में या तो स्थानीय सेनानायक या पीएसी मुख्यायल द्वारा नामित कोई अन्य सेनानायक पीएसी बल की सुख- सुविधा तथा उसके कार्य सम्पादन का पर्यवेक्षण करेंगे। इस अवधि में समस्त कन्टीजेन्ट का अनुशासनात्मक नियंत्रण उपरोक्त प्रकार प्रतिनियुक्त किये गये सेनानायक में निहित होगा। उस अनुभाग के पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, जिनके क्षेत्र में ऐसा व्यवस्थापन होता है, का भी फोर्स पर पर्यवेक्षणीय नियंत्रण होगा।

22. यदि डिटैचमेन्ट ड्यूटी में नियुक्त पीएसी कर्मचारियों की अनुशासनहीनता की जानकारी किसी भी पुलिस अधिकारी को मिलती है तो तत्काल इसे डिटैचमेन्ट कमाण्डर की जानकारी में लाना चाहिए। डिटैचमेन्ट कमाण्डर अनुशासनहीनता के गम्भीर मामलों की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी, सेनानायक तथा पुलिस अधीक्षक को देगा।

18. आपरेशनल कण्ट्रोल:-

23. किसी जिले को उपलब्ध कराये गये पीएसी डिटैचमेण्ट का आपरेशनल कण्ट्रोल जिला पुलिस अधीक्षक में निहित होता है। इस नियन्त्रण के अधिकारी का प्रयोग विभिन्न ड्यूटियों के लिए किस प्रकार किया जाता है, यह आगे के उप प्रस्तरों में अंकित है:-

पीएसी के अधिकारियों के व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जिले में नियुक्त कम से कम सामान्य रैंक के अधिकारी के स्तर से जारी किये जाने चाहिए। आकस्मिक रूप से उत्पन्न तथा संकट कर गुरूतर स्थिति में अधीनस्थ रैंक के अधिकारियों, (जिसमें कां0 भी सम्मिलित हैं) द्वारा पीएसी की नियुक्ति हेतु अनुरोध किया जा सकता है। इस प्रकार की संकट की स्थिति का निर्णायक वही अधिकारी होगा जो सहायता हेतु अनुरोध करेगा। परन्तु यदि स्थिति पीएसी के प्रयोग होतु औचित्यपूर्ण न हो तो कम्पनी कमाण्डर या प्लाटून कमाण्डर इसे पुलिस अधीक्षक और अपने सेनानायक की भी जानकारी में ला सकते है।

जहाँ कहीं भी फोर्स का प्रयोग किया जाना हो तो पीएसी की डिटैचमेन्ट का नेतृत्व उनके अपने अधिकारियों द्वारा, जिला पुलिस के वरिष्ठतम उपलब्ध अधिकारी के सम्पूर्ण नेतृत्व में किया जाना चाहिए।

साम्प्रदायिक दंगों, छात्र, राजनैतिक, श्रमिक तथा किसान आन्दोलनों के संदर्भ में इस बात पर बल दिया जाता है कि फोर्स का नेतृत्व यथासम्भव थानों व चौकियों के प्रभारी पुलिस निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों को स्वयं या उपलब्ध होने पर उनके उच्चतर पद के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, जबकि तत्कालीन कार्यवाही की आवश्यकता हो।

(क) वी0वी0आई0पी0 ड्यूटियाँ:-

इन ड्यूटियों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षकों द्वारा विस्तृत आदेश जारी किये जाते है और अनेक राजपत्रित अधिकारियों को विभिन्न ड्यूटियाँ वितरित की जाती है और उन्हें आवश्यकतानुसार फोर्स उपलब्ध करायी जाती है। सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारियों को अपने अधीन उपलब्ध कराये गये पीएसी फोर्स को स्वयं मौके पर "ब्रीफ" करना चाहिए।

(ख) <u>महत्वपूर्ण मेले व त्यौहार:-</u>

जहाँ भी राजपत्रित अधिकारी मेलों और त्यौहारों के प्रभावी हों तो उन्हें स्वयं ही कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाना चाहिए तथा पीएसी की गश्त कार्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। ऐसे मौके आ सकते है जबकि कोई भी राजपत्रित अधिकारी मेलों के प्रभावी न हों या सम्बन्धित स्थानों पर स्थाई रूप से उपलब्ध न रह सकें। ऐसे अवसरों पर पीएसी डिटैचमेण्ट की ड्यूटी लगाने वाला या उससे गश्त कार्यक्रम का निर्धारण करने वाला पुलिस अधिकारी सदैव पीएसी डिटैचमेन्ट के प्रभावी अधिकारी से वरिष्ठ पद का होना चाहिए।

(ग) <u>एण्टी डकैती ड्यूटियों तथा जघन्य अपराधों में अचानक बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित ड्यूटियाँ</u>

सामान्यत: पीएसी को इस ड्यूटी के लिए तब बुलाना चाहिए। जबकि एक से अधिक थाना क्षेत्रों में डकैती या अन्य अपराधों में अचानक गम्भीर रूप से बढ़ोत्तरी हो रही हो । आमतौर पर जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हो तो क्षेत्राधिकारी को समस्या के निवारण हेतु नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे मौकों पर पुलिस अधीक्षक या क्षेत्राधिकारी को स्वयं पीएसी के गश्त कार्यक्रम, उसकी तथा भूमिका का स्पष्ट निर्धारण करना चाहिए। फिर भी ऐसे मौके आ सकते है जबकि पीएसी की कम्पनी किसी क्षेत्र विशेष के थानाध्यक्षों के नियन्त्रण में प्लाटूनों और सेक्शनों के गश्त कार्यक्रम का समन्वय तथा "पासवर्ड" का निर्धारण थानाध्यक्ष से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाये। यदि डकैती या गम्भीर अपराधों से केवल एक थाना क्षेत्र ही प्रभावित होता है तो पीएसी की सहायता का कोई औचित्य नहीं है। और जिला पुलिस ऐसी स्थिति से निपटनें में स्वत: सक्षम होनी चाहिए। यदि एक प्लाटून या उसका कोई सेक्शन किसी थानाध्यक्ष को केवल 'स्ट्राइकिंग फोर्स' के रूप में उपलब्ध कराया गया है, तो उसके द्वारा इसे प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए परन्तु ऐसी स्थिति में थानाध्यक्ष को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तुरन्त इसकी सूचना भेजनी चाहिए। जो सावधानीपूर्वक परीक्षण करेंगे कि फोर्स का प्रयोग औचित्यपूर्ण ढंग से किया गया था या नहीं यदि गिरोह की अचानक हुई गतिविधियों के कारण, पुलिस अधीक्षक या क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी समन्वयित गश्त कार्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाध्यक्ष को दुवारा गश्त कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।, परन्तु उसे इसकी सूचना अन्य थानाध्यक्ष को और अपने क्षेत्राधिकारी को भी तीव्रतम माध्यम से देनी चाहिए। जब कोई कम्पनी 'एण्टी डकैती' ड्यूटी में नियुक्त हो तो कम्पनी कमाण्डर और प्लाटून कमाण्डरों को उस कार्यक्रम की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसके अनुसार कम्पनी व्यवस्थापित की गयी। जब कोई प्लाटून इस प्रकार नियुक्त हो तो कम्पनी कमाण्डर को भी कार्यक्रम की प्रतिलिपियाँ मिलनी चाहिए। इस दृष्टि से परम आवश्यक है कि यदि इनमें से

कोई अधिकारी गश्त को चेक करना चाहे तो वह ऐसा कर सके। इससे गश्त कार्यक्रम में तालमेल बनाए रखने में मदद मिलेगी।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 'एण्टी डकैती' ड्यूटी में नियुक्त पीएसी के डिटैचमेन्टस की स्थिति के अनुरूप आवश्यक शस्त्रों, जिसमें वी0एल0पी0 भी सम्मिलित है, सुसज्जित हो।

(घ) <u>साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित ड्यूटियाँ:-</u>

सामान्यत: ऐसे मौकों पर मोहल्लों में राजपत्रित अधिकारी नियुक्त रहते हैं, जिन्हें पीएसी की भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। उनका गश्त कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए और स्वयं ड्यूटी लगानी चाहिए। यदि ड्यूटी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा लगायी जानी हो तो पिछले प्रस्तरों में उल्लेखित मूल सिद्धान्तों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए और ऐसे सभी मौकों पर पीएसी के व्यवस्थापन पर किसी राजपत्रित अधिकारी का समग्र नियन्त्रण और निकट पर्यवेक्षण होना चाहिए।

(ङ) <u>छात्र आन्दोलन, किसान और श्रमिक आन्दोलन से सम्बन्धित ड्यूटियाँ:-</u>

जिला और तहसील मुख्यालयों जहाँ राजपत्रित अधिकारी तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं, पीएसी की ड्यूटी सुनिश्चित करने, लगाने और गश्त कार्यक्रम के निर्धारण का कार्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य स्थानों के प्रभारी निरीक्षकों या उपनिरीक्षकों को स्थिति के बदलाव और पिछले प्रस्तरों में उल्लेखित मूल सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, पीएसी बल के व्यवस्थापन हेतु अधिकृत किया जाना चाहिए। फिर भी, उसके द्वारा लगायी गयी ड्यूटियों और गश्त कार्यक्रमों की सूचना उसे अपने क्षेत्राधिकारी को तत्काल भेजनी चाहिए।

(च) <u>सार्वजनिक मनोरंजन कार्यक्रमों और खेलों से सम्बन्धित ड्यूटियाँ:-</u>

ऐसे समारोह सामान्यत: जिला मुख्यालयों पर भी आयोजित होते है। यह आयोजन जनता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और स्थानीय पुलिस की क्षमता से अधिक भीड़ एकत्र होने की सम्भावना होती है, तभी पीएसी बल को नियुक्त किया जाता है। ऐसे अवसरों पर पुलिस अधीक्षक या ऐसे आयोजनों की पुलिस व्यवस्था के प्रभारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा पीएसी की ड्यूटी लगायी तथा निर्धारित की जानी चाहिए।

(छ) चुनाव सम्बन्धी ड्यूटियाँ:-

ऐसी ड्यूटियों के सम्बन्ध में या तो जिला मुख्यायल से पुलिस अधीक्षक द्वारा या पुलिस प्रबन्धों हेतु प्रभारी बनाये गये क्षेत्राधिकारी, जो जिला चुनाव अधिकारी मनोनीत हों, द्वारा जारी किये जाते हैं। पुलिस प्रबन्धनों के प्रभारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा ये ड्यूटियाँ स्वयं लगायी जानी चाहिए तथा पीएसी की ड्यूटियाँ सुस्पष्ट की जानी चाहिए।

19. स्थानीय राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण:-

24. जब पीएसी बल जिला मुख्यालय या ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किया जाये तो उनके आगमन के बाद उसके डिटैचमेन्ट का निरीक्षण सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए तथा उसके बाद पाक्षिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन निरीक्षणों के क्रम में उन्हें पीएसी बल के डिटैचमेण्टस के कल्याण, सुविधा, मनोबल, कर्तव्य पालन, अनुशासन तथा भोजन व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएसी के वाहनों का दुरूपयोग तो नहीं हो रहा है।

पुलिस अधीक्षक को भी अपने थानों के दौरों के समय पीएसी डिटेचमेण्ट को ही चेक करना चाहिए, यदि वे वहाँ नियुक्त हों।

20 डिटैचमेण्टस निरीक्षण के दौरान स्थानीय पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य:-

25. पीएसी के अनुभागीय पुलिस उप महानिरीक्षकों तथा सेनानायकों द्वारा डिटैचमेन्ट के निरीक्षणों के दौरान स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा समुचित सम्मान प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जहाँ ऐसे दौरों की पहले से सूचना हो, वहाँ उन्हें निरीक्षण के समय उपस्थित रहना चाहिए। अन्य मामलों में जबकि वे निरीक्षण के स्थानों पर उपलब्ध हों, उन्हें निरीक्षणकर्ता अधिकारी से मिलना चाहिए।

जब ऐसे निरीक्षणों की पूर्व सूचना हो या वे उसके दौरान उपलब्ध हों तो सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक या क्षेत्राधिकारी को अनुभागीय पुलिस उप महानिरीक्षक या सेनानायक, जैसी भी स्थिति हो, के डिटैचमेण्ट निरीक्षणों के दौरान उनके साथ जाना चाहिए।

21. पारस्परिक अभिवादन:-

26. पीएसी और पुलिस अधिकारियों के बीच पारस्परिक अभिवादन और सम्मान प्रदर्शन सम्बन्धित अधिकारियों के पद के अनुरूप पारस्परिक वरिष्ठता के अनुसार किया जाना चाहिए।

अध्याय-4

प्रशासन

22. आवास व्यवस्था:-

27. आमतौर पर पीएसी फोर्स टेण्टेज अपने साथ लेकर चलता है उसके अच्छें स्वास्थ्य परक प्रबन्धों से युक्त तथा पेय जल और आवागमन की सुविधा वाला कैम्प का उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराना, उस पुलिस अधीक्षक या सेनानायक की जिम्मेदारी है, जिसको रिपोर्ट करने का आदेश फोर्स को मिला है। पुलिस अधीक्षक को यह देखना चाहिए कि कर्मचारी खुले में बिना टेण्ट के ना रखे जायें और न ही उन्हे गलियों के कोनों में या स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद या घनी आबादी वाले स्थानों में रहने की अनुमति दी जाये। कुछ संवेदनशील जिलों में पीएसी को बड़े पैमाने पर बार-बार ड्यूटी के लिए नियुक्त किया जाता है। ऐसे जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कैम्प के लिए उपयुक्त स्थानों को पहले से ही निर्धारित कर देना चाहिए, ताकि अचानक उत्पन्न हुए संकट की स्थितियों में फोर्स के आ जाने के बाद कैम्प में उपयुक्त स्थानों की तलाश करने और उसके कारण उत्पन्न उलझनों से बचा जा सके।

यदि पीएसी को मकान में आवास की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही हो तो व किसी तटस्थ पक्ष का होना चाहिए किसी भी दशा में पीएसी को ऐसे आवास या मकान में नहीं रखना चाहिए जो ऐसे व्यक्तियों के हों, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस विवाद में लिप्त हों जिसके कारण पीएसी नियुक्त करनी पड़ी हो।

28. जहाँ पीएसी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में नियुक्त हो तो सेनानायक और पुलिस अधीक्षक का यह कर्तव्य है, कि वे प्रतिष्ठानों के प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करके फोर्स के ठहरने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वहाँ उपयुक्त संचार साधन उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध करा दिये जायें।

29. जब तक अन्यत्र ठहरने की अनुमति नहीं हो अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ ही ठहरना चाहिए। प्लाटून कमाण्डर और उससे ऊपर के अधिकारियों को केवल फोल्डिगं चारपाईयों को ही कर्मचारियों को ले जाने वाले वाहनों से ले जाने की अनुमति होगी।

23. आपरेशनल स्ट्रेण्थ:-

30. जब पीएसी की कम्पनी प्रान्त में ही आपरेशनल ड्यूटियों में लगायी जाय तब उसकी जनशक्ति एक दलनायक, 03 गुल्मनायक, 19 मुख्य आरक्षी, 09 नायक, 18 लान्स नायक और 40 कान्स0 की होनी चाहिए। जब प्लाटून नियुक्त हो, तो उसकी जनशक्ति 01 प्लाटून कमाण्डर, 06 मुख्य आरक्षी, 03 नायक, 06 लान्स नायक और 12 आरक्षी की होनी चाहिए। यदि नायक, ला0ना0 रैंक में अवकाश और रिक्तियों के कारण कमी हो तो उसकी पूर्ति कान्स0 को नियुक्त करके की जानी चाहिए क्योंकि अधिकारियों के रैंक में भी रिजर्व नहीं होता, अत: यह नियमानुसार होगा कि कम्पनी कमाण्डर के स्थान पर अस्थायी तौर पर कोई वरिष्ठ प्लाटून कमाण्डर काम करें या कोई हवलदार मेजर या वरिष्ठ हवलदार अस्थाई तौर पर प्लाटून कमाण्डर के रूप में कार्य करें। अन्य मामलों में, यदि कोई हे0कां0 या का0 अवकाश पर जाये तो वाहिनी मुख्यालय से उसकी बदली तत्काल भेजी जानी चाहिए।

31. प्रान्त के बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाने की दशा में एक कम्पनी की जनशक्ति (जबतक कि वह सम्पूर्ण वाहिनी का हिस्सा न हो) एक कम्पनी कमाण्डर, 03 प्लाटून कमाण्डर, 20 हे0का0, 09 नायक, 18 लान्स नायक और 59 आरक्षी होने चाहिए। कम्पनी कमाण्डर को अपने अर्दली प्यून को भी अपने साथ ले जाना चाहिए।

24. मोटर ट्रान्सपोर्ट:-

32. शासन ने पीएसी की दो कम्पनियों के लिए केवल 07 वाहन का मापदण्ड स्वीकृत किया है। आम तौर पर एक पीएसी की कम्पनी को सामान के साथ मूवमेण्ट के लिए प्रारम्भिक चरण में चार या पाँच वाहन दिये जाते हैं और फिर कम्पनी के पास 03 वाहन ड्यूटी के लिए छोड़ दिये जाते हैं जबकि शेष 02 वाहन वाहिनी मुख्यालय लौट जाते है, परन्तु यदि कम्पनी को नियुक्त होने के बाद शीघ्र ही वापस लौटना हो तो सभी पाँच वाहन उसके साथ रहते है। फिर भी, कभी-कभी कम्पनियों को पूर्ण संख्या में वाहन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होता और ऐसी दशा में मूवमेण्ट या तो ट्रेन से कराना पड़ता है या तो दो चक्कर लगाने पड़ते है। वाहनों की वास्तविक कमी की दशा में कम्पनियों के पास 03 से कम वाहन भी रखे जा सकते है।

33. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीएसी के वाहनों को असुरक्षित न छोड़ा जाय। साम्प्रदायिक दंगो के समय विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है।

34. मूलतः पीएसी के वाहन पीएसी कर्मचारियों को ड्यूटी हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए है। जिला पुलिस द्वारा अन्य ड्यूटियों हेतु पीएसी के वाहनों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सामान्यतः जिला पुलिस अधीक्षकों के लिए यह सम्भव होने चाहिए कि वह जनशक्ति और वाहनों के सम्बन्ध में अपनी आवश्यकताओं का आंकलन पहले से ही कर लें ताकि वे अपने परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षकों को अपने लिए अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध कर सके। ऐसी व्यवस्था से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि पुलिस अधिकारियों के पास उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त परिवहन साधन उपलब्ध होंगे और उन्हें पीएसी के वाहनों की मांग नहीं करनी पड़ेगी, जो कि मूल रूप से पीएसी फोर्स के प्रयोग के लिए है। फिर भी किसी संकट की स्थिति में, जिलों में ड्यूटी हेतु नियुक्त पीएसी इकाईयों के वाहनों का उपयोग पुलिस अधीक्षकों द्वारा अनुभाग के पुलिस उप महानिरीक्षकों की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। जब यह अनुमति पहले से प्राप्त करना संभव न हो तो वाहनों का प्रयोग तो किया जा सकता है, परन्तु उसके बाद अनुभागीय पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी को तुरन्त सूचित करना चाहिए और उनसे पूर्वकालिक अवधि से प्रभावी अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

35. पीएसी वाहनों के रनिंग रजिस्टर पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक पखवाड़े में एक बार प्रस्तुत किये जाने चाहिए और क्षेत्राधिकारियों को भी अपने कार्य क्षेत्र में स्थित डिटैचमेण्टस के निरीक्षणों के दौरान इन्हें चेक करना चाहिए, ताकि इन वाहनों के दुरूपयोग की रोकथाम की जा सके।

36. पीएसी वाहनों के दुरूपयोग के किसी विशिष्ट मामले की जानकारी मिलने पर दलनायक या पीएसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसे उपयुक्त कार्यवाही हेतु सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/ सेनानायक की जानकारी में लाना चाहिए।

37. पीएसी फोर्स को वाहिनी मुख्यालय से जिला मुख्यालय ले जाने और वापस लाने के लिए आवश्यक पेट्रौल/डीजल की सम्पूर्ति पीएसी की सम्बन्धित इकाई द्वारा की जायेगी, ईंधन की सम्पूर्ति जिला पुलिस के अनुदान से होगी।

25. चिकित्सा व्यवस्था:-

38. पीएसी कर्मचारियों को व्यवस्थापन पर ड्यूटी के दौरान पुलिस/जनपदीय चिकित्सालय में ईलाज की सभी सुविधा एवं निःशुल्क भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

26. व्यवस्थापन के दौरान प्रशिक्षण:-

39. डिटैचमेन्टस पर नियुक्त पीएसी फोर्स से यह अपेक्षित है कि जब वे वास्तविक रूप से ड्यूटी में न हो तो सामान्य ड्रिल और प्रशिक्षण करे। सघन प्रशिक्षण केवल वाहिनी मुख्यालय पर ही सम्पन्न कराया जायेगा। जहाँ

कहीं भी सम्भव हो, पुलिस अधीक्षकों को उन्हे परेड ग्राण्डड, पी0टी0 उपकरण की सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। खेल के उपकरण सेनानायक द्वारा ही उपलब्ध कराये जायेगें।

40. एण्टी डकैती में नियुक्त पीएसी डिटैचमेन्टस के क्रमाण्डर को उस क्षेत्र के जिसमें की उसे आपरेट कराना है, उसकी प्राकृतिक बनावट से स्वयं को तथा अपने जवानों को भी भली-भाँति परिचित करा देना चाहिए।

41. डिटैचमेन्टस पर नियुक्त पीएसी कर्मचारी का प्रयोग अपना कैम्प लगाने तथा दूसरे स्थान पर ले जाने के अलावा 'फटीक ड्यूटी' में किसी भी दशा में नहीं किया जाना चाहिए।

27. <u>आपरेशनल एरिया में पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था:-</u>

42. यद्यपि प्रत्येक पोस्ट पर सुरक्षा प्रबन्ध वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सुनिश्चित किये जायेंगे, विशेषकर वहाँ से दिखाई पड़ने वाले प्राकृतिक दृश्यों के विस्तार को, फिर भी, इसमें कुछ आधारभूत सिद्धान्तों का पालन, अवलम्बन स्वरूप किया जाना चाहिए। सेनानायकों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को यह देखना चाहिए, कि उन निर्देशों का पालन किया गया अथवा नहीं।

43. अपराधियों के विरूद्ध या गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में ड्यूटी पर नियुक्त गार्दो में दिन में कम से कम एक तथा रात्रि में कम से कम दो संतरी नियुक्त किये जाने चाहिए। रात्रि में संतरियों को आवाज देकर एक दूसरे को बता सकने की दूरी तक तथा उस स्थान से जहाँ गार्ड कमाण्डर और गार्ड के अन्य सदस्य सो रहे हों, से भी आवाज देकर बुला सकने की सीमा के अन्तर्गत ही नियुक्त किया जाना चाहिए।

44. रात्रिकालीन संतरी ड्यूटी एक बार में 2 घण्टे से अधिक नहीं होनी चाहिए और संतरियों की बदली इस प्रकार व्यवस्थापित की जानी चाहिए कि उनमें से हर एक घण्टे के बाद बदल दिया जाये। गार्द कमाण्डर या द्वितीय गार्ड कमाण्डर को बदली स्वयं अपनी देख-रेख में करानी चाहिए।

45. गड़बड़ी वाले क्षेत्रों मे जिनमें डकैती गश्त क्षेत्र भी शामिल हो, ड्यूटी तैनात गार्द सभी सदस्यों को अपने शस्त्रों और एम्यूनेशन को अपने बगल में रखकर, बचाव तथा सुरक्षा सम्बन्धी सभी सावधानियाँ बरतते हुए, इस प्रकार सोना चाहिए कि वे तत्कालीन कार्यवाही हेतु तैयारी की हालत में हो।

46. दिन के समय हमेशा कम से कम आधी गार्द तथा रात्रि के समय पूरी गार्द टर्न आउट होने के लिए उपलब्ध रहनी चाहिए। पोस्ट के प्रभारी को जहाँ तक हो सके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भोजन सूर्यास्त होने के पहले कर लिया जाये यदि ऐसा करना सेवा सम्बन्धी तत्कालिक आवश्यकताओं के कारण संभव न हो तो कम से कम संख्या में कर्मचारियों को बारी-बारी भोजन हेतु अनुमति देनी चाहिए तथा शेष को तत्कालिक कार्यवाही हेतु उपलब्ध रहना चाहिए। गार्द के किसी सदस्य को किसी भी समय किसी भी

प्रकार के मादक पदार्थ के सेवन करने की अनुमति नहीं होगी।

47. संतरी पोस्ट का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ताकि संतरी इन स्थानों से कैम्प की ओर आने वाले सभी रास्तों पर निगरानी रख सके। संतरी पोस्ट इस प्रकार बने होने चाहिए कि जहाँ एक ओर संतरी उनमें आराम से खड़ा हो सके, वही दुश्मन के फायर से भी सुरक्षित रह सके, परन्तु साथ ही वह कैम्प तक आने वाले रास्तों को साफ-साफ देख भी सके। यदि इन रास्तों पर रोशनी की व्यवस्था न हो तो संतरियों को टार्चे दी जानी चाहिए, फिर भी टार्चों का प्रयोग बहुत जरूरी होने पर ही किया जाये, क्योंकि हर चमकदार रोशनी मनुष्य की आँखों को अँधेरे में वस्तुओं को देखने की शक्ति में गड़बड़ी पैदा करती है।

48. गार्द के अन्य सदस्य को भी फायर से सुरक्षा प्रदान करायी जानी चाहिए। यदि गार्द को टेण्टों में सोना हो तो खुदाई करके टेण्टों के फर्श को जमीन की सतह से नीचे रखना चाहिए। गार्द को ऐसा रास्ता भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो दुश्मन की फायरिंग से बचाने वाला हो तथा जिसका प्रयोग करके वे आवश्यकतानुसार पोजीशन ले सकें। जहाँ ग्राउण्ड में खुदाई करना संभव न हो, वहाँ मिट्टी की नीची दीवार बना लेनी चाहिए। मोर्चे इस प्रकार बनाये जाने चाहिए कि कैम्प तक आने वाले सभी रास्तों पर निगरानी रखी जा सके। प्रतिदिन, लगभग सूर्यास्त के समय कैम्प का 'स्टैण्ड-टू' आयोजित कराना चाहिए, जिसके दौरान पोस्ट कमाण्डर को अलग-अलग कर्मचारियों को अलग-अलग मोर्चा आवंटित करने चाहिए और प्रत्येक का 'आर्क आफ फायर' निर्धारित करना चाहिए ताकि गार्द के सदस्यों द्वारा एक-दूसरे पर फायर करने का खतरा न रहे रात्रि के समय 'कैम्प होशियार' होने की दशा में कर्मचारी अपने लिए निर्धारित मोर्चों में ही पोजीशन लेगें।

49. जब संतरी किसी समूह को कैम्प की ओर बढ़ता हुआ देखें तो उसे मोर्चों में पोजीशन लेने के लिए "गार्द होशियार" करना चाहिए और आते हुए जन समूह को रोकने के बाद उनमे से केवल एक व्यक्ति को पहचान के लिए सुरक्षित दूरी तक आगे बढ़ने को कहना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह मित्रों की पार्टी है, उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देनी चाहिए।

50. उपरोक्त निर्देशों में कुछ अंशों तक सुधार कराना होगा। यदि कैम्प किसी आबादी वाले क्षेत्र में या आम जनता के आवागमन के किसी केन्द्र के निकट या किसी बीहड़ के सिरे पर स्थित हो और जहाँ बाहरी व्यक्तियों को कैम्प तक आने से नहीं रोका जा सकता और यदि ऐसे क्षेत्रों में कैम्प स्थापित करना पड़े तो उसे चारों तरफ मिट्टी की दीवारों से आरक्षित करना संभवत: अच्छा रहेगा, जिसमें संतरियों की पोस्ट्स चुने हुए स्थानों पर स्थापित होगी तथा मोर्चों में 'पोर्ट-होल्स' की व्यवस्था होगी जिसमें वे चारों तरफ के परिवेश पर नजर रख सकेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी सुरक्षा तथा पीछा करने की प्रभावी कार्यवाही आयोजित की जा सकेगी।

51. यदि गार्द मुखबिर या उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा हेतु उसके घर पर नियुक्त हो तो उसे ऐसे व्यक्ति या परिवार के निकटतम परिवेश में रहना चाहिए। जो भी हो, थोड़ा ध्यान देकर किसी भी स्थान को उन व्यक्तियों के सहयोग से, जिनकी सुरक्षा करनी है, किसी भी स्थान को परिवर्तित करके समुचित रूप से सुरक्षित स्थान बनाया जा सकता है। यदि मकान में टैक्निकल दृष्टि से उपयुक्त स्थान उपलब्ध न हो तो गार्द कमाण्डर को ऐसे आवास हेतु तत्कालिक व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ से संतरी मकान से आने, जाने वाले रास्तों पर नजर रख सके तथा गार्द को होशियार कर सके।

52. यह उल्लिखित करना प्रासंगिक होगा कि किसी भी पोस्ट के जवानों की स्वयं अपनी सुरक्षा और एण्टी डकैती के काम में उनकी सफलता में उनके द्वारा ग्रामीणों से रखे जाने वाले संबंधों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पोस्ट के जवानों को यह कदापि आभास नहीं होने देना चाहिए कि वह किसी एक गुट का पक्षपात करते है और न ही कोई ऐसा कार्य करना चाहिए, जब तक कि वह उनकी सरकारी ड्यूटी का हिस्सा न हो, जिसके कारण कोई नाराजगी उत्पन्न हो।

28. <u>सीमा क्षेत्रों और राज्य से बाहर प्रतिनियुक्त पीएसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवार की सहायता:-</u>

53. यह आवश्यक है कि बाहर प्रतिनियुक्त सीमा क्षेत्रों में नियुक्त कर्मचारी घरेलू चिन्ताओं से मुक्त हो ताकि वे अपने पूर्ण ध्यान और कार्य शक्ति को अपने लिए निर्धारित कर्तव्य के लिए प्रयुक्त कर सके। इस लिए आवश्यक है कि परिवारों, जबकि वाहिनियों की फैमिली लाईन्स या ग्रामों में छोड़ी गयी है, को हर संभव सहायता उपलब्ध करायी जायें।

54. वाहिनियों के परिवारिक आवासों में छोड़े गये परिवारों की सुख-सुविधा का ध्यान रखना पीएसी वाहिनियों के सेनानायकों/अन्य संबंधित अधिकारीगण का कर्तव्य होगा। ग्रामों में छोड़े गये पीएसी के जवानों के परिवारों के कष्टों को देखने और उनकी समस्याओं का दायित्व जिन पुलिस के अधिकारियों का होगा, जिनकी इकाईयों से जवान ड्यूटी पर तैनात हों, उन सेनानायकों को, उनके परिवारों का पूर्ण विवरण उनके निवास से संबंधित पुलिस अधीक्षक के पास भेज देना चाहिए। पुलिस अधीक्षक को ऐसे परिवारों की थानावार सूचना बनवा लेनी चाहिए और निर्देश जारी करने चाहिए कि उपनिरीक्षक और हल्के के आरक्षी ग्रामों में अपने भ्रमण के दौरान इन परिवारों से, जिनके पुरूष सदस्य सीमाओं पर तैनात हैं, से जाकर मिलेंगे और उनको हर संभव सहायता प्रदान करेंगे यह व्यवस्था निरन्तर लागू रहनी चाहिए और अधिकारियों तथा जवानों के परिवारों से कम से कम दो माह में एक बार उनकी कठिनाईयों को ज्ञात करने और समुचित सहायता प्रदान करने की दृष्टि

से अवश्य भेंट की जानी चाहिए। थानाध्यक्ष को ऐसे परिवारों की सहायता के लिए की गयी कार्यवाही की आख्या पुलिस अधीक्षक को एक माह में एक बार अवश्य देनी चाहिए और साथ ही ऐसे मामलों की जानकारी भी पुलिस अधीक्षक को देनी चाहिए जिसमें तत्कालिक सहायता या ध्यान देने की आवश्यकता हो। अच्छा होगा कि थानों के अपने निरीक्षणों के दौरान पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी इसके लिए अपना कुछ समय प्रदान करेंगे और यह देखें कि ऐसे परिवारों की सहायता हेतु समुचित ध्यान दिया जा रहा है अथवा नहीं।

55. फोर्स के किसी सदस्य के हताहत होने की स्थिति में सेनानायक और पुलिस अधीक्षक को सम्वेदना प्रकट करने के लिए परिवार से स्वयं सम्पर्क रखना चाहिए और तत्कालिक सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए।

56. समय-समय पर परिक्षेत्रीय और जिला पुलिस कल्याण समितियों से भी ऐसे परिवारों को आवश्यक और सम्भव सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकतानुसार पड़ सकती है।

8888888888888888